

18/08/17  
 (PA)  
 CE-FC/17/FC

उत्तराखण्ड शासन  
 लोक निर्माण विभाग-अनुभाग-2  
 संख्या 2087/III (2)/17-75(सामान्य)/2000 टी0सी0  
 देहरादून दिनांक 16 अगस्त, 2017

= कार्यालय ज्ञाप =

उत्तर प्रदेश शासन के पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या-2204एल/10/एमएस-7 (जी-3)/92 दिनांक 02 नवम्बर, 1993 के द्वारा निविदा फॉर्म फीस तथा फर्जीकरण/नवीनीकरण शुल्क आदि को पुनः निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित निविदा फॉर्म शुल्क वर्तमान में प्रासंगिक न होने तथा राज्य की आय के ससाधनों में वृद्धि के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश संख्या-2204एल/10/एमएस-7 (जी-3)/92 दिनांक 02 नवम्बर, 1993 को अवकमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्न तालिका के कॉलम- II में उल्लिखित कार्य की लागत के अनुसार कॉलम- III में उल्लिखित निविदा फॉर्म शुल्क निर्धारित किये जाने की सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	कार्य की लागत	निविदा फॉर्म की निर्धारित
		दर (घनराशि ₹ में)
	II	III
1	₹0 1.00 लाख से ₹0 5.00 लाख तक	₹ 500.00 + जी.एस.टी.
2	₹0 5.00 लाख से ₹0 10.00 लाख तक	₹ 1000.00 + जी.एस.टी.
3	₹0 10.00 लाख से ₹0 20.00 लाख तक	₹ 1500.00 + जी.एस.टी.
4	₹0 20.00 लाख से ₹0 30.00 लाख तक	₹ 2000.00 + जी.एस.टी.
5	₹0 30.00 लाख से ₹0 40.00 लाख तक	₹ 2500.00 + जी.एस.टी.
6	₹0 40.00 लाख से ₹0 50.00 लाख तक	₹ 3000.00 + जी.एस.टी.
7	₹0 50.00 लाख से ₹0 150.00 लाख तक	₹ 4000.00 + जी.एस.टी.

2 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 00/XXVII(7)/2017 दिनांक 01 अगस्त, 2017 में प्राप्त रजगकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(आम प्रकाश)  
 आर. मन्दा सहित।

17  
 I.T  
 upload की  
 18/08/17